to connect the large villages to main transportation line which would accelerate rural development;

(c) whether there is any proposal to connect Sukai village of Bironkhal Block, Thailisain Tehsil of Pauri Garhwal to main transportation line under rural development programme; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) to (d) Roads is a State subject. The State Governments are responsible for the construction and maintenance of roads for which the Planning Commission allocates funds under the State Plan. The Government of India does not minitor the village-wise coverage of raod connectivity. It also does not deal with individual proposals. Funds allocated by the Planning Commission under the State plan for construction and maintenance of roads can be used by the State Governments to make plans and apportion such funds allocated for construction and maintenance of roads.

ग्रामीणों के क्षेत्र के लिए धनराशि

2444. **श्री गोविन्द राम मिरी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के बवट में ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्रके लिये प्राथमिकता के आधार पर कितनी धनराशि निर्धारित की गई है,

(ख) इस प्रयोजनार्थ कुल बजट आबंटन का प्रतिशत क्या है,

(ग) क्या अब तक हिन्दी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील) : (क) और (ख) विभिन्न ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों के लिए 1998-99 में केन्द्रीय योजना हेतु बजटीय सहायता 12765.71 करोड़ रूपये हैं। केन्द्रिय योजना हेतु यह राशि कुल बजटीय सहायता का 30.06 प्रतिशत है।

(ग) और (ध) वाटरशेड आधार पर वर्षा वाले क्षेत्रों का विकास, ग्रामीण ऋण तथा ग्रामीण ढांचा, स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देना, कृषि सामग्री का उत्पादक, उनका विपणन तथा परिवहन से संबंधित नियम और कानून, ग्रामीण आवास, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार के दो विस्तृत वर्गो के अंतर्गत गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का एकीकरण, कृषि तथा ग्रामीण विकास में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2445. **श्री रमा शंकर कौशिक** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के अन्तर्गत जारी वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्ति के लिए निबन्धन तथा शर्तों क्या हैं, और

(ग) योजनाओं के कार्यान्वयन तथा सहायता राशि को समुचित उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान रिलीज की गई राज्यवार केन्द्रीय निधियां विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने संबंधी निबंधन और शर्तें नीचे दी गई हैं,

केन्द्र द्वारा निधियां दो किस्तों में जारी की जाती है। ठंडे एवं बर्फ आच्छादित जिलों अर्थात् लाहोल और स्पीति, लेह और कारगिल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में, जहां कार्यवधि कुछेक महीनों तक ही सीमित है, वहां सहायता का संपूर्ण केन्द्रीय अंश एक ही किस्त में जारी किया जा सकता है। इन रिलीजों के अनुरूप राज्यों द्वारा राशि रिलीज की जानी चाहिए।

यदि पिछले वर्ष दूसरी किस्त किसी शर्त के बिना रिलीज की गई हो तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुए बिना ही पहली किस्त जारी की जा सकती है। केन्द्रीय निधियां की दूसरी किस्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अनुरोध पर

निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने पर जारी की जाती हैं :-

(1) चालू वर्ष के लिए राज्यी सरकार द्वारा बजट प्रावधान बताया जाए । केन्द्रीय रिलीज इससे ज्यादा नहीं होगी ।

(2) पिछले वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने समान रूप से योगदान जारी किया हो । मैचिंग अंश की रिलीज में की गई कीम को दूसरी किस्त में से काट लिया जाएगा ।

(3) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का अर्थशेष उस वर्ष के आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जिस वर्ष की निधियां जारी की जा रही हैं ।

(4) प्रशासनिक संरचना पर आने वाला खर्च समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम आवंटन के 10 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, की लागू सीमा के अंतर्गत रहना चाहिए ।

(5) आगे ले जाई गई निधियों सहित उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग और ठंडे मरूभूमि जिलों और अडंमान निकोबार द्वीप समूह के मामलों में उपलब्ध निधियों के 75 प्रतिशत का उपयोग होना चाहिए ।

(6) पिछले वर्ष की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए ।

(7) वार्षिक योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ।

(8) अंतिम रिलीज के समय लगाई गई कोई अन्य शर्तें पूरी की गई हों ।

(9) तिमाही बजट की योजना के अंतर्गत 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार छमाही लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हो ।

(10) बैंक समाधान, निधियों का अन्यत्र उपयोग न करने, खजाने में निधियां जमा न रह जाने आदि से संबंधित प्रमाण पत्र जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

सहायता राशि का उचित एंव पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम दिशा निर्देशों में निधियों के इस्तेमाल के बारे में तिमाही लक्ष्य निर्धारित होते हैं । राज्य सरकारों को भी समय पर अपने पूर्ण प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया गया है ताकि केन्द्र निधियों का अपना अंश जल्दी से जल्दी रिलीज कर सके और निधियों का बेहतर इस्तेमाल हो । प्रस्तावों के देरी से प्राप्त होने के मामलों में कटौतियां की जाती हैं ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तगत रिलीज की गई राज्यवार वित्तीय सहायता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	3702.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	167.31
3.	असम	4445.37
4.	बिहार	5893.32
5.	गोवा	24.43
6.	गुजरात	1368.50
7.	हरियाणा	632.31
8.	हिमाचल प्रदेश	270.63
9.	जम्मू व कश्मीर	294.21
10.	कर्नाटक	1886.95
11.	केरल	1163.66
12.	मध्य प्रदेश	5634.66
13.	महाराष्ट्र	4332.71
14.	मणिपुर	87.75
15.	मेघालय	144.49
16.	मिजोरम	104.27
17.	नागालैंड	86.70
18.	उड़ीसा	3314.53
19.	पंजाब	354.81
20.	राजस्थान	1525.86
21.	सिक्किम	90.57
22.	तमिलनाडु	3461.00
23.	त्रिपुरा	620.57
24.	उत्तर प्रदेश	13324.38
25.	पश्चिम बंगाल	2142.91
26.	अं.व. नि. द्वीप समूह	63.00
27.	दा. व. न. हवेली	21.88
28.	दमन व दीव	0.00
29.	लक्षद्वीप	3.43
30.	पांडिचेरी	29.93
	अखिल भारत	55192.82